कार्यालय

सचिव लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

भारत।

पत्रांक संख्याः पराकौप्र/परिषद मान्यता/2024/086 दिनांकः 25/07/2024

:–कार्यालय ज्ञाप–:

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2024–26 हेतु नवीन डिप्लोमा स्तरीय पराचिकित्सीय/कौशल शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 05/03/2024 को परिषद कार्यालय में मान्यता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2024–26 हेतु लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन एवं मान्यता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में मान्यता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मान्यता समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सत्र 2024–26 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु मान्यता प्रदान की जाती हैः–

संस्था का नाम एवं कोडः– 0178 लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल कॉलेज वार्ड न 7 अम्बेडकरनगर एन एच 2 औरैया रोड नियर हीरो नार्दन मोटर्स सेल्स अकबरपुर कानपुर देहात उत्तर प्रदेश

क्र० सं०	पाठ्यक्रम का नाम	परिषद द्वारा सत्र 2023–24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	**डिप्लोमा इन कम्यूनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशल ड्रग**	**20**
2.	**डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी**	**20**
3.	**डिप्लोमा इन डैंटल हाइजीन**	**20**
4.	**डिप्लोमा इन नैचरोपैथी एंड योगिक साइंस**	**20**
5.	**डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री**	**20**

मान्यता हेतु शर्ते–

- संस्था लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तो का पूर्णतः पालन करेगी।
- लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद के मानकों के अनुरूप संसाधन (भूमी, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध रखेगी जिसकी जांच परिषद द्वारा सत्र के दौरान किसी भी समय की जा सकेगी।
- संस्था लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदत नियमवाली व परीक्षा–उपविधि तथा समय–समय पर निर्गत परिषद के आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संबंध में समय–समय पर परिषद

द्वारा निर्गत किए जाने वाले परिषद के आदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा यदि चालू सत्र हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शुल्क की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- संस्था में भारतीय पराचिकित्सीय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को समय–समय पर निर्गत परिषद के आदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं मान्यता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्थान परिषद द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/निर्देशों एवं निदेशक लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा बनाए गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- यदि संस्थान का परिषद से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
- संस्था को शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि–भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्बारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की मान्यता समाप्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि–भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज–सज्जा परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नही पाया जाता है तो संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- संस्था को अपने वेबसाइट तथा परिषद के पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रष्ठि भूमि, स्टाफ, साज–सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व संस्थान परिषद को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गई सूची में उल्लेखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना परिषद की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ–साथ संस्थान के लेखा का ऑडिट भी परिषद द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- संस्था को संबद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सूचना/ विवरण, तथा संबद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिषद के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थायी संबद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

➢ सत्र प्रारंभ होने से होने के उपरान्त यदि संस्था के प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो रिक्त होने की तिथि से तीन माह के अंदर रिक्त पद पर चयन की कार्रवाई पूर्ण कर नियुक्ति कर ली जाए जिसकी सूचना परिषद को अवश्य कराये।

➢ मान्यता शर्तों का अनुपालन न किए जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

A. Giri 25/07/2024

सत्य प्रतिलिपि / Verified Copy
सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadhur Shastri Paramedical Skill And Training Council
भारत / India - फोन नं० 4349311 / Ph. No. 4349311

सचिव।

(लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 अध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद।
2 सचिव, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
3 परिक्षा नियंत्रक, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद।
4 निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद।
5 सचिव / राणा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट डेरापुर, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209301
6 गार्ड फाइल।

पृ० सं०— पराकौप्र / परिषद मान्यता / 2024 / .086

पृ॰ सं॰ 1 ता॰ 3

A. Giri 25/07/2024

सत्य प्रतिलिपि / Verified Copy
सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadhur Shastri Paramedical Skill And Training Council
भारत / India - फोन नं० 4349311 / Ph. No. 4349311

सचिव।

(लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद)